समेकित यात्रा परामर्श – दिनांक 11 मार्च, 2020

दिनांक 11 मार्च, 2020

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

नोवेल कोरोनावायरस रोग के लिए समेकित यात्रा परामर्श (कोविड-19)

दुनिया भर के सौ से अधिक देशों में अब तक कोविड-19 के कई मामले सामने आये हैं। इन देशों की यात्रा करने वाले लोग या जो लोग विदेश की यात्रा कर चुके हैं, वे प्रभावित लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। ये लोग कोविड-19 द्वारा अपने प्रवास के दौरान या हवाई अड्डों पर पारगमन के दौरान भी संक्रमित हो सकते है। इन देशों के भीतर कुछ देशों ने विशेषकर संक्रमण के उच्च जोखिम से पीड़ित देशों ने यात्रियों के मृत्यु के मामलों की बहुत बड़ी संख्या दर्ज की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यात्रा परामर्श जारी किए गये थे। निम्नलिखित समेकित परामर्श वर्तमान में जारी किए गये है।

1. सभी मौजूदा वीजा (राजनयिक, आधिकारिक, संयुक्त राष्ट्र/अंतर्राष्ट्रीय संगठन, रोजगार, परियोजना वीजा को छोड़कर) दिनांक 15 अप्रैल, 2020 तक निलंबित हैं। यह नियम प्रस्थान के बंदरगाह पर दिनांक 13 मार्च, 2020 को 1200 GMT से लागू होगा।

2. ओसीआई कार्ड धारकों को दी जाने वाली वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा दिनांक 15 अप्रैल, 2020 तक लागू रहेगी। यह प्रस्थान के बंदरगाह पर दिनांक 13 मार्च, 2020 को 1200 GMT से लागू होगा।

3. भारत में पहले से ही ओसीआई कार्ड धारक जब तक चाहें तब तक भारत में रह सकते हैं।

4. भारत में पहले से मौजूद सभी विदेशियों के वीजा वैध हैं और वे अपने वीज़ा या किसी कांसुलर के अनुदान आदि के विस्तार/रूपांतरण आदि के लिए ई-एफआरआरओ मॉड्यूल के माध्यम से निकटतम एफआरआरओ/एफआरओ से संपर्क कर सकते हैं। यदि वे ऐसा करने का विकल्प चुनते हैं।

5. कोई भी विदेशी नागरिक, जो कि अपने सम्मोहक के कारण से भारत की यात्रा करने का इरादा रखता है, निकटतम भारतीय मिशन से संपर्क कर सकता है।

6. पहले से मौजूद वीजा प्रतिबंधों के अलावा इटली या कोरिया गणराज्य का दौरा और भारत में प्रवेश करने के इच्छुक यात्रियों को इन देशों के स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा प्राधिकृत नामित प्रयोगशालाओं से कोविड-19 का नकारात्मक परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। यह दिनांक 10 मार्च, 2020 से लागू होगा और यह कोविड-19 के महामारी में कमी आने तक एक अस्थायी उपाय है।

7. भारतीय नागरिकों सहित सभी आने वाले यात्रियों को जिन्होंने दिनांक 15 फरवरी, 2020 के बाद चीन, इटली, ईरान, कोरिया गणराज्य, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी का दौरा किया था, उन्हें

14 दिनों की न्यूनतम अवधि तक क्वारंटाइन किया जाएगा। यह प्रस्थान के बंदरगाह पर दिनांक 13 मार्च 2020 को 1200 जीएमटी से लागू होगा।

8. भारतीय नागरिकों सहित आने वाले यात्रियों को गैर-ज़रुरी यात्रा करने से बचने की सलाह दी जाती है तथा उन्हें यह बताया जाता है, कि भारत में उनके आगमन पर उन्हें न्यूनतम 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा।

9. भारतीय नागरिकों को आगे दृढ़ता से चीन, इटली, ईरान, कोरिया गणराज्य, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी की यात्रा न करने की सलाह दी जाती है।

10. भारत लौटने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी चाहिए और सरकार द्वारा जारी 'क्या करें और क्या न करें' जैसे आवश्यक उपायों का पालन करना चाहिए।

11. सुदृढ़ परीक्षण (स्क्रीनिंग) सुविधा केंद्रों के साथ नामित चेक पोस्ट भूमि सीमाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यातायात प्रतिबंधित होगा। इन्हें गृह मंत्रालय द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

12. भारत में प्रवेश करने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को प्रतिरूप (डुप्लीकेट) में विधिवत रूप से भरा स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत (जिसमें व्यक्तिगत विवरण यानी फोन नंबर और भारत में निवास का पता शामिल है) (संलग्न के रूप में) करना होगा। उन्हें स्वास्थ्य अधिकारियों और आव्रजन अधिकारियों के समक्ष और प्रवेश के दौरान सभी बिंदुओं पर नामित स्वास्थ्य काउंटरों पर स्वास्थ्य स्क्रीनिंग से गुजरना होगा।

13. स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रश्न के बारे में अधिक जानकारी जानने के लिए लोग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के 24x7 हेल्पलाइन नंबर (+91-11-23978046) पर कॉल कर सकते है या ncov2019@gmail.com पर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं।